

262
A

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 41 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 17/02/2025

श्री दिलीप माहोर नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय में लंबित सिविल सूट प्रकरण क्रमांक-184/24 गयेन्द्र प्रसाद वगै० वि० चंद्रमणि प्रसाद तिवारी एवं श्री रंजीत भदकारिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में लंबित सिविल सूट प्रकरण क्रमांक-715/23 चंद्रमणि प्रसाद तिवारी वगै० वि० गयेन्द्र प्रसाद वगै० एक दूसरे के पूरक प्रकरण होने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रंजीत भदकारिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में लंबित सिविल सूट प्रकरण क्रमांक-715/23 चंद्रमणि प्रसाद तिवारी वगै० वि० गयेन्द्र प्रसाद वगै० को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री दिलीप माहोर नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

sdv
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्र० 834 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 17/02/2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम/नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
4. जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

17m
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)